न्यायालय : जिला न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S.(DJ Cadre)
विविध दीवानी प्रा.प.सं.	–	23/2025 (उत्तराधिकार)
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010009762025

हनुमान प्रसाद पुत्र मूलाराम बाल्मिकी आयु 66 वर्ष निवासी बाल्मिकी बस्ती वार्ड संख्या 36 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) – प्रार्थी

ब ना म

1. सर्वसाधारण
2. मुन्नालाल पुत्र हनुमान प्रसाद बाल्मिकी निवासी बाल्मिकी बस्ती वार्ड संख्या 36 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. श्रीमती अनिता पुत्र हनुमान प्रसाद पत्नी राजेश चांवरिया निवासी चूरू हाल वार्ड संख्या 53 प्रकाशनाथ की मंडी, बड़ी गुवाड़, हरिजन बस्ती बड़ी कोटगेट, बीकानेर (राज.)
4. भारतीय जीवन बीमा निगम, चूरू (राजस्थान) जरिये शाखा प्रबंधक – अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,1925

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार दनेवा, योग्य अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश वर्मा, योग्य अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।
3. श्री नरेश कुदाल व श्री धनेश कामड़, योग्य अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 4 की ओर से।
4. सर्वसाधारण की और से कोई उपस्थित नहीं।

– नि र्ण य –

दिनांक – 16.03.2026

1. यह प्रकरण प्रार्थी हनुमान प्रसाद द्वारा धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रार्थी हनुमान प्रसाद के स्वर्गीय पुत्र रविन्द्र कुमार के नाम से अप्रार्थी संख्या 4 भारतीय जीवन बीमा निगम, चूरू शाखा में संचालित बीमा पॉलिसी का बीमाधन प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी के पुत्र रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 05–07–2023 को अप्रार्थी संख्या04 के यहाँ से एक बीमा पॉलिसी संख्या 184559869 राशि 1,50,000/–की जारी करवा रखी थी। प्रार्थी का पुत्र रविन्द्र कुमार अविवाहित था और उसके कोई जायन्दा या दत्तक संतान नहीं थी। उक्त पॉलिसी में नोमिनी के रूप में रविन्द्र कुमार की माता श्रीमती लाली देवी नामित थी। श्रीमती लाली देवी का देहान्त दिनांक 27–08–2023 को हो गया। प्रार्थी के पुत्र रविन्द्र कुमार ने अपने जीवनकाल में उक्त बीमा पॉलिसी में नोमिनी का नाम परिवर्तन

नहीं करवाया। प्रार्थी के पुत्र रविन्द्र कुमार का देहान्त दिनांक 23–05–2025 को हो गया है। रविन्द्र कुमार के वारिसान के रूप में उसके पिता प्रार्थी हनुमान प्रसाद, भाई मुन्नालाल व बहिन अनिता ही है। प्रार्थी द्वारा उक्त बीमा धन प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालयों से संपर्क करने पर अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा **दिनांक 08.09.2025** को बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के उक्त राशि देने से इंकार कर दिया गया। प्रार्थी अपने स्वर्गीय पुत्र रविन्द्र कुमार का हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार प्रथम श्रैणी का विधिक उत्तराधिकारी होने से प्रार्थी ने यह याचिका प्रस्तुत की है।

3. अतः प्रार्थी ने अपने पुत्र स्वर्गीय रविन्द्र कुमार के नाम से अप्रार्थी संख्या 04 के यहाँ संचालित बीमा पॉलिसी की राशि मय ब्याज प्राप्त करने के लिए अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज होकर रजिस्टर होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 सर्वसाधारण की ओर से कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से इकबाल जवाब प्रस्तुत किया गया।

5. अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है कि स्वर्गीय रविन्द्र कुमार के नाम से बीमा पॉलिसी उनके यहाँ करवाई गई थी, जिसमें नोमिनी रविन्द्र कुमार की माता श्रीमती लाली देवी थी। नोमिनी का देहान्त, बीमित रविन्द्र कुमार का देहान्त होने, उसके अविवाहित होने, उसके कोई संतान नहीं होने के तथ्य प्रार्थी को साबित करने होंगे। नोमिनी का देहान्त बीमाधारी की देहान्त से पहले हो जाने की स्थिति में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। अतः प्रकरण का निस्तारण विधि अनुसार किए जाने का निवेदन किया गया।

6. प्रार्थी ने स्वयं को बतौर ए.ड.01 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में 9 दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए।

7. प्रार्थी हनुमान प्रसाद ने ए.ड. 1 के रूप में शपथपूर्वक साक्ष्य देते हुए कहा कि उसने इस प्रकरण में साक्ष्य हेतु एक शपथ–पत्र तैयार करवाया था, जिसे पढ़–सुन व समझकर ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर कर तस्दीक करवाकर दिनांक 16.03.2026 को न्यायालय में पेश किया है तथा उसमें अंकित सभी तथ्य सत्य हैं। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में एलआईसी पॉलिसी प्रदर्श–1, अपने पुत्र रविन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र असल प्रदर्श–2 (फोटोप्रति प्रदर्श–2ए), प्रार्थी की पत्नी व पोलिसी में नोमिनी लालीदेवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–3 (फोटोप्रति प्रदर्श–3ए), अपना मूल आधार कार्ड प्रदर्श–4 (फोटोप्रति प्रदर्श–4ए), अपने पुत्र पोलिसीधारक रविन्द्र कुमार का मूल आधार कार्ड प्रदर्श–5 (फोटोप्रति प्रदर्श–5ए), सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित अखबार की प्रतिया प्रदर्श–6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8 तथा मूल राशन कार्ड प्रदर्श.पी.9 (फोटोप्रति प्रदर्श–9ए) न्यायालय में प्रस्तुत किए। **अप्रार्थी संख्या 4 भारतीय जीवन बीमा निगम, चूरू शाखा की ओर से की गई जिरह** में प्रार्थी ने इन सुझावों को सही बताया है कि बीमा पॉलिसी लिए जाने के समय नामांकन मृतक रविन्द्र कुमार की माता व प्रार्थी की पत्नी लालीदेवी के नाम से करवाया हुआ था,

लालदेवी का देहान्त दिनांक 27–08–2023 को हो जाने के पश्चात बीमा पॉलिसी में कोई नया नामांकन नहीं करवाया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम से सम्पर्क करने पर उसे यह बताया गया था कि बीमा पॉलिसी के नामिती की मृत्यु हो जाने के कारण पॉलिसी से संबंधित राशि के भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कानूनन आवश्यकता है।

8. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई।

9. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय रविन्द्र कुमार ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 04 के यहाँ से बीमा पॉलिसी ली थी जिसमें मृतक ने अपनी माता श्रीमती लालीदेवी को नोमिनी बनाया था। नोमिनी का देहान्त दिनांक 27–08–2023 को हो गया था और उसके स्थान पर कोई दूसरा नोमिनी नियुक्त नहीं किया गया था। उसके बाद प्रार्थी के पुत्र रविन्द्र कुमार पॉलिसीधारक की मृत्यु 23.05–2025 को हो गई थी। नोमिनी लालीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श.3 तथा पॉलिसीधारक रविन्द्र कुमार की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रदर्श.पी.2 है। मृतक रविन्द्र कुमार के नाम से अप्रार्थी संख्या 04 भारतीय जीवन बीमा निगम, चूरू शाखा में बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की माँग की गई है। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि वह मृतक रविन्द्र कुमार का उत्तराधिकारी है। मृतक रविन्द्र कुमार के अन्य वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने इकबाल दावा पेश कर प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में सहमति जाहिर की है।

10. वहीं अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से तर्क दिया गया कि यदि प्रार्थी अपने उत्तराधिकार होने के तथ्य को विधिवत सिद्ध करता है तो नियमानुसार आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया गया।

11. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12. हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि बीमाधारी रविन्द्र कुमार का देहान्त 23–05–2025 को हो गया था और उससे पूर्व बीमाधारी के नोमिनी श्रीमती लाली देवी का देहान्त दिनांक 27–08–2023 को हो चुका है और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 व 3 से उक्त तथ्य प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि स्वर्गीय रविन्द्र कुमार के नाम से अप्रार्थी संख्या 04 भारतीय जीवन बीमा निगम, चूरू शाखा में बीमा पॉलिसी संख्या 184559869 संचालित थी, जिसकी बीमाकृत राशि 1,50,000/– रुपये है। प्रार्थी ने अपने पक्ष में संबंधित एलआईसी पॉलिसी, अपना व अपने मृतक पुत्र के आधार कार्ड, सर्वधारण को सूचनार्थ अखबार में प्रकाशन की प्रतियां व अपना राशन कार्ड पेश किया । प्रार्थी की साक्ष्य का अप्रार्थीगण द्वारा प्रभावी रूप से खण्डन नहीं किया गया है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया, किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 02 मुन्नालाल जो कि प्रार्थी का पुत्र व अप्रार्थी 03 श्रीमती अनिता प्रार्थी की पुत्री है, के द्वारा इकबाल जवाबदावा पेश किया गया है, जिन्होंने प्रार्थी हनुमान प्रसाद के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने में अन्नापति जाहिर की है। अप्रार्थी संख्या 04 भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा चूरू द्वारा भी

अपने जवाब में मूलतः केवल यह निवेदन किया गया कि यदि प्रार्थी अपने उत्तराधिकारी होने के तथ्य को विधिवत सिद्ध करता है तो प्रकरण का निस्तारण विधि अनुसार किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि बीमाधारी रविन्द्र कुमार प्रार्थी का पुत्र है, अन्य जो वारिसान हैं उन्होंने इकबाल जवाबदावा पेश कर प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने में रजामंदी जाहिर की है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकारी अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होता। प्रार्थी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि वह बीमाधारक रविन्द्र कुमार का विधिवत उत्तराधिकारी है और बीमाधारक रविन्द्र कुमार के नाम से उपर्युक्त बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र विधि अपेक्षित है।

14. अतः उपलब्ध साक्ष्य, अभिलेख तथा समस्त परिस्थितियों के समग्र परीक्षण से प्रार्थी हनुमान प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

– आ दे श –

15. फलस्वरूप, हनुमान प्रसाद द्वारा धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में स्वर्गीय रविन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी बाल्मिकी बस्ती वार्ड नम्बर 36 चूरू के नाम से अप्रार्थी संख्या 04 भारतीय जीवन बीमा निगम, चूरू शाखा में संचालित बीमा पॉलिसी संख्या 184559869 की बीमाकृत राशि 1, 50,000/– (एक लाख पचास हजार) रुपये (मय बोनस व अन्य परिलाभ जो भी देय हो) प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार आवश्यक न्यायालय शुल्क एवं प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(सोनिका पुरोहित)
जिला न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

16. आदेश आज दिनांक 16.03 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
जिला न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)